संख्या:170/2016/710/35-4-2016

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष ,
लोक निर्माण विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक:03 मई,2016

विषय: वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत पुनरीक्षित स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कन्नौज में शासनादेश संख्या:1747/35-4-2013 दिनांक 31 दिसम्बर,2013 द्वारा **एन0एच0-234 के कन्नौज रेलवे क्रासिंग से तिर्वा तक (चैनेज 158.400 से 142.00 तक) मार्ग के चौड़ीकरण** के कार्य की लागत रू. 6504.95 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू. 2602.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या: 53/2015/211/35-4-2015 दिनांक 19 फरवरी,2015 द्वारा उक्त कार्य की द्वितीय किश्त के रूप में रू. 2602.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई। एतदद्वारा उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को रू. 8014.53 लाख की लागत पर पुनरीक्षित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेश 31 दिसम्बर,2013 तथा दिनांक 19 फरवरी,2015 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रायोजना में भूमि अध्यासि हेतु रू.269.04 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है। अत: भूमि का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

3- परियोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई मे परिवर्तन, क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ स्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर शासन का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

4- प्रायोजना के आबादी भाग में डिवाइडर के दोनों किनारों पर प्री-कास्ट गमलें इस प्रकार लगाये जायें कि वह सुरक्षित रहें तथा उससे ट्रैफिक के सुचारू संचालन में कोई व्यवधान न हो।

5- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

6- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

7- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- जिलाधिकारी द्वारा यथा संशोधित/ स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-5-389/दस- 2016 दिनांक 03 मई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:170/2016/710(1)/35-4-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, कानपुर।
7- जिलाधिकारी, कन्नौज।
8- मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज।
10-गार्ड फाईल।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कन्नौज।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://srisanadesh.up.nic.in